उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : मुख्यपीठ जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक B/9692 / II-14-41-/02 IV   जबलपुर, दिनांक 19/12/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी जबलपुर/सैट स्थापना,
4. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.) स्थापना/सैट स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. सहायक सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– संचालनालय, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश, भोपाल के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 92/CTA/Master/23भोपाल, दिनांक 16/11/2023

18.12.22

(संजय कुमार सिंह)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

ज्ञानेश्वर ब्री. पाटील
आई.ए.एस.
आयुक्त

संचालनालय,कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश
पर्यावास भवन,खण्ड-अ, पंचम् तल
मदर टेरेसा मार्ग, भोपाल-462011
दूरभाष { कार्या :2676020
फैक्स :2676030
E-mail:cta@mptreasury.gov.in
Web: www.mptreasury.org

अर्द्ध शा.पत्र क्रं.:92/CTA/Post/23
भोपाल, दिनांक 16/11/2023

विषय:- पोस्ट डाटाबेस की सेंट्रल सर्वर में स्वीकृत पदों की प्रविष्टि/संशोधन करने के संबंध में।

संदर्भ:- आयुक्त कोष एवं लेखा का पत्रक्र./सीटीए/पोस्ट मास्टर/2022/54 दिनांक24.08.2022

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से IFMIS डाटाबेस में स्वीकृत पदों की प्रविष्टि एवं पदों के संशोधन संबंधित प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। प्राय: यह देखने में आया है कि अधिकांश डीडीओ द्वारा सीधे ही इस कार्यालय में पत्राचार कर, पदों की प्रविष्टि का लेख किया जाता है। डीडीओ द्वारा पत्राचार के कारण अधिकांशत: स्वीकृत कुल पदों की पुष्टि नहीं हो पाती है,क्योंकि विभाग के पास समस्त प्रशासकीय स्वीकृति उपलब्ध होती है जिसके आधार पर सिस्टम में प्रविष्ट पद एवं प्रस्ताव अनुसार पदों का मिलान किया जा सकता है ।

विभिन्न प्रकरणो मे डीडीओ द्वारा पद प्रविष्टी के प्रस्ताव का स्वीकृति से मिलान उपरांत यह भी ज्ञात होता है कि पद पूर्व से प्रविष्ट है एवं पद सेवानिृत्त कर्मचारी से मेप है जिससे डीडीओ को रिक्त पद प्रदर्शित नही होता है । इस प्रकार के प्रकरणों मे आपके स्तर से डीडीओ को निर्देशित किया जावे कि कर्मचारी के सेवानिवृत/देहावसान होने के पश्चात उनके समस्त क्लेम का भुगतान उपरांत तत्काल रिलीव किया जावे जिससे अन्य नवीन कर्मचारी के ज्वाइन हेतु पद उपलब्ध रहे।

अत: संदर्भित पत्र अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रशासकीय स्वीकृति सहित मय डीडीओ कोड सहित आपके विभाग अंतर्गत स्वीकृत पदों की एकजाई जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे पोस्ट डाटाबेस अपडेशन का कार्य संपादित हो सकें।

भवदीय,

(ज्ञानेश्वर बी.पाटील)

प्रति,

श्री अजय पवार,
रजिस्ट्रार ,
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,जबलपुर ।

REGISTRAR (M)
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
Record room (Admn.)